मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.6018/एम–17/वि–9/आरजीएम/99 भोपाल दिनांक

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त)
   म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
   जिला पंचायत,
   मध्यप्रदेश।

विषयः राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी की अशासकीय/स्वयं सेवी संस्थाओं को परियोजना क्रियान्वयन का दायित्व सौपने बाबत्।

उपरोक्त विषय पर मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को निरस्त करते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

अ. नई स्वयंसेवी संस्थाओं को वाटरशेड कार्य आवंटन

नई स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

I) राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं को पी.आई.ए. का दायित्व सौंपने का अधिकार जिला सलाहकार समिति की अनुशंसा पर जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को होगा। वे निम्न तथ्यों को ध्यान में रख स्वयंसेवी संस्थाओं के वाटरशेड मिशन के कार्य से संबद्ध करेंगें :–

1. इच्छुक संस्था का पूर्व इतिहास ज्ञात किया जावे। इस इतिहास में संस्था की कार्य प्रणाली, सामर्थ्य, पूर्व में सम्पादित कार्यों का समाज पर प्रभाव एवं संस्था के संबंध में समाज की सोच इत्यादि का आंकलन किया जावे।
2. इच्छुक संस्था का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी, मध्यप्रदेश से कम से कम तीन वर्ष पूर्व का होना आवश्यक है। इच्छुक संस्था द्वारा आवेदन के साथ विगत तीन वर्ष की आडिटेड रिपोर्ट एवं उसके द्वारा पिछले तीन में सम्पादित कार्यों का विवरण संलग्न किया जावेगा। इस विवरण के प्राप्त होने पर ही आगे की कार्यवाही की जावे।
3. इच्छुक संस्था अपने सक्रिय सदस्यों/विशेषज्ञों की सूची आवेदन के साथ संलग्न करेगी एवं जिला पंचायत को आश्वस्त करेगी कि कार्य मिलने की स्थिति में संस्था जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित विशेषज्ञ की देख रेख में गतिविधि का संचालन सुनिश्चित करेगी। इस पैरा में उल्लेखित शर्त का उल्लंघन करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को संस्था से कार्य वापस लेने का अधिकार होगा।
4. इच्छुक संस्था द्वारा आवंटित क्षेत्र में कार्यालय स्थापित कर अमला पदस्थ किया जावेगा, ताकि ग्रामीण समाज को संस्था से सम्पर्क करने में कोई कठिनाई न हो। इस संबंध में आवेदनकर्ता संस्था आवेदन के साथ अपनी सहमति देगी।
5. इच्छुक संस्था के मिशन कार्यों से संबद्ध अमले को राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की कार्य–प्रणाली एवं अवधारणा से परिचित होने के लिए

समय–समय पर शासन द्वारा आयोजित/प्रायोजित प्रशिक्षणों में भाग लेने की सहमति देना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय के संबंध में संस्था समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करेगी।

6. नवगठित स्वयंसेवी संस्थाओं को उनकी संभावित उपयुक्तता की स्थिति में पैरा–2 की शर्त को शिथिल करते हुए जिला सलाहकार समिति की अनुशंसा पर जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किसी भी कार्यरत परियोजना अधिकारी के नियंत्रण में एक माइक्रोवाटरशेड/गांव की कार्य योजना को क्रियान्वित कराने का दायित्व सौंपा जा सकता है। दायित्व निर्वाह की इस अवधि में स्वयंसेवी संस्था को गांव गांव के क्षेत्रफल के अनुरूप प्रशासकीय, प्रशिक्षण, कम्यूनिटी आर्गनाईजेशन एवं आस्थामूलक मद में राशियां प्रदान की जाएंगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संस्था को प्रशासकीय मद में दी जाने वाली राशि योजना अवधि में पांच प्रतिशत से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी। एक वर्ष उपरांत स्वयंसेवी संस्था द्वारा संपादित गतिविधियों की समीक्षा मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की जावेगी। संस्था के कार्य उपयुक्त पाये जाने पर ही उन्हें संपूर्ण मिलीवाटरशेड का दायित्व स्वतंत्र रूप से दिये जाने पर निर्णय लिया जावेगा।

7. इच्छुक संस्था अपना आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को उपरोक्त विवरण संलग्न कर प्रस्तुत करेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करेंगे एवं उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को जिला स्तरीय जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन सलाहकार समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करेगें। जिला जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन सलाहकार समिति से अनुशंसित प्रकरणों पर जिले का प्रभारी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जावेगा एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संस्था को परियोजना क्रियान्वयन दल घोषित कर जलग्रहण क्षेत्र आवंटित करेंगे। अशासकीय/स्वयं सेवी संस्थाओं को क्षेत्र आवंटन के समय ऐसे जलग्रहण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जावे जो पूर्व में चयनित हो चुका है परन्तु किसी कारणवश उनमें कार्य सम्पादन नहीं हो पाया है। स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन एवं क्षेत्र आवंटन की कार्यवाही का लिखित विवरण जिला स्तरीय वाटरशेड सलाहकार समिति की बैठक के लिये बनाये रजिस्टर में रखा जावेगा।

II) नये क्षेत्रों का चुनाव डी.पी.ए.पी. एवं ई.ए.एस. में उपलब्ध राशियों के अनुपात में होगा। वर्षवार राशि उपलब्धता की गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

वर्ष	क्षेत्र	वांछित राशि
प्रथम वर्ष	500 हेक्टेयर	रू. 5.00 लाख
द्वितीय वर्ष	———''———	रू. 8.00 लाख
तृतीय वर्ष	———''———	रू. 5.00 लाख
चतुर्थ वर्ष	———''———	रू. 2.00 लाख

उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है कि प्रथम वर्ष में चुने गये 500 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए विभिन्न वर्षों में कितनी राशि आवश्यक होगी। इस राशि की व्यवस्था जिले को मिलने वाली किश्तों में से की जावेगी। कुछ जिलों ने क्षेत्र चुनाव में सयंम नहीं बरता है। इस कारण जिलों को अब राशि प्रदान करने एवं कार्यक्रम की गति बनाये रखने में कठिनाई जा रही है। अतः जब तक पूर्व में चयनित क्षेत्रों में उपरोक्त तालिका के अनुरूप राशियां उपलब्ध नहीं कराई जाती, किसी भी जिले में कोई भी नये क्षेत्र का चुनाव नहीं किया जावेगा। नये क्षेत्र के चयन के पूर्व चयनित क्षेत्रों में कार्यों को पूर्ण कराना होगा। मिशन द्वारा माइक्रोवाटरशेड/ग्राम में कार्य पूर्ण होने विषयक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर पृथक से

आदेश क्र.20 जारी किया जा चुका है। कृपया आदेश क्र.20 के आधार पर कार्यक्रम समाप्त होने विषयक निर्णय लिया जावे एवं जैसे–जैसे पुराने गांवों की कार्ययोजनाएं पूर्ण होती है वैसे–वैसे उतने नये क्षेत्र का चुनाव किया जावे। कृपया नई अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं को मिशन कार्यक्रम से संबद्ध करने बाबत् कोई प्रकरण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/मिशन को प्रेषित नहीं किया जावे।

ब. पूर्व से कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को नये मिलीवाटरशेड आवंटन

पूर्व से कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को नये कार्य आवंटन के पूर्व निम्न प्रक्रिया का पालन किया जावे :–

1. पुरानी स्वयंसेवी संस्था के द्वारा कराये गये कार्यों/गतिविधियों की समीक्षा
2. समीक्षा उपरांत स्वयंसेवी संस्था को नया मिलीवाटरशेड/माइक्रोवाटरशेड आवंटित करने पर निर्णय पर अ (II) के प्रावधानुसार या किसी परियोजना अधिकारी के स्थानांतरण/रख रखाव के आधार पर किया जावे।
3. अच्छा काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था को अन्रू जिले में वाटरशेड को आवंटन अ (II) के अनुसार दिया जा सकता है। इस आवंटन हेतु पूर्व जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, की लिखित अनुशंसा आवश्यक होगी।
4. आगामी आदेश तक नये जलग्रहण क्षेत्रों का चयन अथवा आवंटन उपरोक्तानुसार किया जावेगा।
5. समीक्षा की रिपोर्ट मिशन संचालक, मिशन समन्वयक एवं विकास आयुक्त को अनिवार्य रूप से भेजी जावेगी।

कृपया उपरोक्त आदेश का पालन करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के आदेशानुसार एवं
निर्देशानुसार
–हस्ता/–
(गौरी सिंह)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.6019/एम–17/22/वि–9/आरजीएम/99 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. मिशन समन्वयक एवं सचिव मा.मुख्यमंत्री, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

(गौरी सिंह)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग